

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/108
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00094
CICOM/R/2019/00284

दिनांक: 13.05.2019

अपीलकर्ता : श्री विरपाल सिंह,
कैतवाड़ा, ज्वालापुर,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249407.

निर्णय की तारीख: 13.05.2019

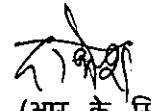
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	19.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.04.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	148/02.05.2019 (11641/23.04.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SG/A/2012/000976+001158 से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 19.03.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 12.04.2019 को पत्र सं. CICOM-R-2019-00284-sc-046 के माध्यम से सूचना प्रदान की गई है। श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. ✓ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सूचना आयुक्त - एस.सी.), के.सू.आ. नई दिल्ली।



